


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.07.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 13 ता 21 व 36 से 45 के वकील उपस्थित, शेष विप्रार्थीगण के विरुद्ध ब्रावजूद सूचना, अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थीगण वकील जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है अतः विप्रार्थीगण वकील का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया जाता है। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेंड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। तथा विप्रार्थीगण वकील द्वारा सहमति भी प्रदान की गई है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मवडी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 157 रकबा 02.6709 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सिवाना (बाडमेरे)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2024 / 326

दिनांक : 09.07.2024

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण  
छतरसिंह पुत्र रूपसिंह खंगारसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरा  
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश  
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं 38 / 2024

दिनांक :- 01.07.2024

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मवडी तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 157 रकबा 02.6709 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000 /—प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बाडमेर)

दिनांक : 09.07.2024

क्रमांक: वाचक / 2024 / 327- 330

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मवडी को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी छतरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बायतू भोपजी हाल मवडी तहसील सिवाना



उपखण्ड अधिकारी,  
सिवाना (बाडमेर)